

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक: 670/349/आउशि/शा-1/2022,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/05/2022

1. समस्त अतिरिक्त संचालक,
क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश
2. समस्त वि.क.अ.,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन भोपाल।

विषय:—उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 775/349/आउशि/शा-1/2022, भोपाल, दिनांक 28/03/2022

0000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा विशेष शिविर का आयोजन दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल 2022 को किया गया था जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अपनी समस्याओं/शिकायतों को क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देश है :-

1. अतिरिक्त संचालक स्तर तक की शिकायतों की समाधान करते हुए दिनांक 25.05.2022 तक संचालनालय एवं शिकायतकर्ता को अवगत कराना है।
2. शिविर के माध्यम से संचालनालय स्तर की समस्त प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित शाखा प्रभारी त्वरित कार्यवाही करें तथा शिकायतकर्ता को अवगत कराए।
समय सीमा— 25.05.2022
3. समस्त संबंधित शाखा प्रभारी प्रतिदिन 04 शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. शिकायत 'शाखा प्रभारी' विभागीय शिकायतों पर अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान करते हुए 30.05.2022 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Agr 13/5/22

(डॉ. अजय अग्रवाल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13/05/2022

पृ.क्रमांक: 671/349/आउशि/शा-1/2022,

प्रतिलिपि:—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ, अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

A-Agr 13/5

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश